

परिशिष्ट-९

पेंशन/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/राशिकरण के लिए पेंशन प्रपत्र

भाग-१

सेवा में,

.....(कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा पता)

.....

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् है। मुझे पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत करने की कृपा करें।

1. नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. सेवानिवृत्ति के पश्चात् का पता:-
(क) स्थायी निवास स्थान.....
(ख) पत्र व्यवहार का पता.....
4. जन्म तिथि.....
5. सेवा प्रारम्भ करने की तिथि.....
6. सेवा निवृत्ति का तिथि.....
7. अन्तिम पद जहाँ से सेवानिवृत्त हुए का पदनाम तथा कार्यालय/विभाग का नाम एवं पता.....
8. मृत्यु होने की दशा में नामिनी का नाम एवं पता जिसे जीवन कालीन अवशेष का भुगतान किया जाय.....
9. पेंशन का भाग या पेंशन की धनराशि जिसका राशिकरण अपेक्षित है.....
10. भुगतान का विवरण:-

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/अविवाहित	पता
1 .					
2 .					
3 .					
4 .					
5 .					
6.					

भवदीय/भवदीया

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं ऐततद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण सही है। मुझे नियमानुसार पेंशन/सेवा अनुतोषिक, सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाय। मैं भली-भाँति अवगत हूँ कि यदि मुझे इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर उपर्युक्त मदों में भुगतान की गई धनराशियाँ नियमानुसार अनुमन्य धनराशियों से अधिक पायी आयेंगी तो मुझे अधिक प्राप्त धनराशियाँ वापस करनी होंगी। मैं बचन देता/देती हूँ की मुझे उपरोक्तानुसार आगणित वास्तविक धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के पुनरीक्षित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अधिक प्राप्त धनराशि को तत्काल शासन को वापस कर दूँगा/दूँगी।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये(यथा सम्भव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिए जहाँ से सेवानिवृत्त हुये)

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. नाम
हस्ताक्षर
पदनाम
पता | 2. नाम
हस्ताक्षर
पदनाम
पता |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
- क्रमशः...

(II)

भाग-2 परिवारिक पेशन तथा मृत्यु ग्रेचुटी के लिए
प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

.....(कार्यालयाध्यक्ष का पद नाम तथा पता
.....

महोदय,

मेरा तथा मृत सरकारी सेवक का विवरण निम्नवत् है। मुझे परिवारिक पेशन तथा मृत्यु ग्रेचुटी स्वीकृत करने की कृपा करें।

1. मृत सरकारी सेवक का नाम
2. मृत सरकारी सेवक के पिता/पति का नाम
3. मृत सरकारी सेवक द्वारा धारित अन्तिम पद का नाम तथा विभाग/कार्यालय का नाम एवं पता
4. क्या मृत सरकारी सेवक पेशन पा रहा था ? यदि हाँ तो:-
(क) सेवानिवृत्ति का दिनांक
(ख) पेशन भुगतानारेश संख्या
(ग) पेशन प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का नाम एवं पता
5. प्रार्थी का
(क) नाम
(ख) पिता/पति का नाम
(ग) जन्मतिथि
(घ) मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध
6. मृत्यु के उपरान्त विधवा अथवा परिवार के सम्बन्धित सदस्य का पता जिसे परिवारिक पेशन स्वीकृत की जायेगी:-
(क) स्थायी निवास स्थान
(ख) पत्र व्यवहार का पता
7. सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न है)
8. मृतक सरकारी सेवक का विवरण:-

क्रमांक	परिवार के सदस्यों का नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/ अविवाहित पता	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

9. कोषागार का नाम जहाँ से भुगतान अपेक्षित है

क्रमशः.....

(III)

10. अन्तिम परिवारिक पेंशन/ग्रेचुटी की धनराशि (यदि कोई हों)
 (क) परिवारिक पेंशन
 (ख) मृत्यु ग्रेचुटी

प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

घोषणा

मैं.....पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री स्व0

.....की (विभाग/कार्यालय का नाम).....द्वारा दी जाने वाली परिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेचुटी स्वीकार करते हुये यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि नियमानुसार अनुमन्य परिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेचुटी से अधिक धनराशि किसी त्रुटिवश भुगतान कर दी जाती है तो उसके पुनरीक्षण में तथा अधिक भुगतान की गई धनराशि की वापसी में मुझे कोई आपत्ति न होगी।

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

प्रार्थी के हस्ताक्षर

1. नाम
पदनाम
पता
2. नाम
पदनाम
पता

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

भाग-3 प्रार्थी का विवरण

1. सरकारी सेवक का नाम पदनाम तथा कार्यालय का नाम
2. सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में परिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रेचुटी हेतु प्रार्थी का नाम तथा सरकारी सेवक से सम्बन्ध
3. नमूने के हस्ताक्षर
 - (क) सरकारी सेवक के (उसके जीवित रहने पर करवाये जायेंगे)
 - (ख) सरकारी सेवक की पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के (उसके जीवित रहने अथवा मृत्यु होने दोनों दशाओं में करवाये जायेंगे)
4. यदि सरकारी सेवक या उसकी (पत्नी/पति अथवा अन्य प्रार्थी, अग्रेजी, हिन्दी अथवा उर्दू में हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो दायें अथवा बायें अंगूठे एवं अंगुलियों के निशान:-)
 - (क) सरकारी सेवक के
 - (ख) पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के
5. वैयक्तिक पहचान
 - (क) सरकारी सेवक/परिवारिक पेंशनर की ऊँचाई
 - (ख) सरकारी सेवक/परिवारिक पेंशनर के पहचान चिन्ह
6. सरकारी सेवक की पत्नी/पति के साथ पासपोर्ट आकार में संयुक्त फोटो/मृत्यु की दशा में प्रार्थी का पासपोर्ट आकार में अपना (फोटो की तीन प्रतियाँ दी जायेंगी) जिसमें से दो फार्मस पर चिपकाई जायेंगी तथा एक प्रति एक छोटे लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के साथ अलग से लगा दी जायेगी। प्रदेश के बाहर पेंशन लेने पर पाँच प्रतियाँ प्रस्तुत की जायेंगी, जिनमें से चार फार्मस पर तथा पाँचवीं एक छोटे लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के साथ अलग से लगा दी जायेगी।

फोटोग्राफ

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा पद का नाम

क्रमसंख्या:.....

()

(IV)

भाग-४ सेवा का इतिहास

सरकारी सेवक का नाम

क्रमांक	कब से कब तक (केवल दिनांक दिये जायें)	पद का नाम जिस पर कार्य किया (स्थान सहित) अवकाश, असाधारण अवकाश, निलम्बन, प्रोन्ति, पदवनति, प्रतिनियुक्ति, व्यवधान की अवधियाँ भी इंगित की जायें	स्तम्भ-3 में दर्शाई गई अवधि का प्रकार	यदि कोई अवधि पेशनयुक्त नहीं है तो कारण सहित उसका विवरण दिया जाय
---------	--	--	---	--

हस्ताक्षर

(कायात्तिलयाध्यक्ष का नाम एवं पद)

भाग-5 कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु

- सरकारी सेवक का नाम
 - सरकारी सेवक की जन्मतिथि
 - सेवा में आने का दिनांक
 - सेवानिवृत्ति का दिनांक
 - कुल अवधि (4.3) वर्ष माह दिन
 - सैन्य सेवा जो पेशन के लिए अर्ह है, की अवधि
 - अन्य सेवा (यदि कोई हो) जिसे पेशन हेतु अर्ह माना गया
 - पेशन अनर्ह सेवा:-
 (क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व के सेवा
 (ख) सेवा में विच्छेद
 (ग) पेशन के लिये अनर्ह निलम्बन की अवधि
 (घ) कोई अन्य सेवा जो पेशन हेतु अनर्ह हो (कारण सहित उल्लेख किया जाय)

वर्ष	माह दिन	योग
	पेंशन हेतु अर्ह सेवा की कुल अवधि (5+6+7-8) या.....छमाही	
10.	पेंशन का प्रकार.....प्रतिकर/अशक्तता/स्टायरिंग/अधिकृष्टता	
11.	सेवानिवृत्ति के दिनांक को मूलनियम ९(21)(1) में परिभाषित वेतन	
12.	औसत परिलिंबियों का अगणन	

क्रमशः.....

(V)

अन्तिम दस मास में प्राप्त परिलिंग्धयाँ

धारित पद	दिनांक से	दिनांक तक	परिलिंग्धयाँ	अन्य
			मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित	
1	2	3	4	5

योग (स्तम्भ-4 का) $\div 10 =$ रु०

13. सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन.....
(पेशन अर्ह सेवा 10 वर्ष कम होने पर पेशन के स्थान पर अनुमन्य)
14. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी का आगणन.....
15. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कटौती (यदि कोई हो).....
16. शुद्ध सेवा निवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की.....
17. परिवारिक पेशन का आगणन:-
(क) सामान्य दर
(ख) 7 वर्ष की सेवा के उपरान्त मृत्यु की दशा में दिनांक.....से रु०.....
18. पेशन/परिवारिक पेशन प्रारम्भ होने का दिनांक
19. पेशन का भाग अथवा धनराशि जिसका राशिकरण अनुमन्य है
20. राशिकृत मूल्य का अगणन
21. राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेशन की धनराशि रु०
22. कोषागार का नाम जहाँ से पेशन/सेवानिवृत्ति अथवा/मृत्यु ग्रेच्युटी/राशिकरण के भुगतान आहरित किये जायेंगे।
23. अनन्तिम पेशन/परिवारिक पेशन (यदि कोई स्वीकृति की गई हो)
24. अनन्तिम सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी (यदि कोई स्वीकृति की गई हो)
25. पेशन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात् दिनांक (ये तिथि सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व होनी चाहिये) तक
1. भवन निर्माण में रु०.....की धनराशि देना शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है:
2. मोटरकार/मोटरसाइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि अग्रिम में से रु०.....की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।
3. किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से रु०.....की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।
4. सरकारी भवन में आवास करने हेतु दिनांक.....तक रु०.....की धनराशि किराये के रूप में अवशेष है/कोई धनराशि अवशेष नहीं है तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक.....तक रु०.....और देना शेष रह जायेगा।
5. आडिट के परिणाम रु०.....की धनराशि देय है/ कोई धनराशि शेष नहीं है।
6. विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप रु०.....की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।
7. अन्य मदों में (मद स्पष्ट की जाय) रु०,.....की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।
8. श्री.....(सरकारी सेवक का नाम के विरुद्ध कोई न्यायिक / विभागीय अथवा प्रशासनिक जाँच लम्बित नहीं है। यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण, जैसे यदि सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाई गयी हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गम्भीर दुराचार के दोषी हों तो उसका विवरण दिया जाय।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा पद नाम

()